न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

((निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर.–75/ संख्या 76/2021/(2021/76) जिला–अजमेर

रामस्वरूप पुत्र श्री जेठूराम जाति रेगर निवासी ग्राम फतेहगढ़ (मुरायला) ग्राम पंचायत शेरगढ़, पं0 सं0 मसूदा, जिला अजमेर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. जिलाधीश महोदय जरिये तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत शेरगढ़, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर।

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर अजमेर क्रमांक 105 दिनांक 02.08.2019 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शमशान भूमि आरक्षण आदेश

उपस्थित–
1. श्री कृष्णगोपाल खत्री अभिभाषक, अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः– 07-12-2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम फतेहगढ़ (मुरायला) ग्राम पंचायत शेरगढ़, पं0 सं0 मसूदा, जिला अजमेर का निवासी है तथा अपीलाधीन आदेश क्रमांक कअ/एफ.12(सी)/राजस्व/2019/105 दिनांक 02.08.2019 से ग्राम फतेहगढ़ (मुरायला) तहसील मसूदा के आराजी खसरा नं0 513/3 रकबा 25–13–00 बीघा किस्म बरड़ा मे से 2–00–00 बीघा भूमि को सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ आरक्षित किया गया है। उक्त भूमि पर 25 से भी अधिक बाडे बने हुये है जिसमे अपीलार्थी के भी बाडे की भूमि है जिस पर अपीलार्थी व उसका परिवार पिछले 50 वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है।

Scanned with CamScanner

जिला कलक्टर अजमेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि जिलाधीश अजमेर के आदेश दिनांक 02.08.2019 के संबंध में संभागीय आयुक्त कार्यालय एव जिला कलक्टर कार्यालय के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर दी गई थी। उक्त आपत्ति पर संभागीय आयुक्त कार्यालय से पत्र कमांक 13542–43 दिनांक 25.11.2019 जारी हुआ था जिसके उपरान्त भी निस्तारण नहीं हुआ। उसके पश्चात् कोरोना काल में कार्यवाही ठप्प हो जाने से अपीलार्थी के भरसक प्रयासें से अपील तैयार करवाई जिसके साथ अपीलार्थीगण द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र पर दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी पर अपीलाार्थी व उसके परिवारजन के बाड़े बने हुये है। खसरा नं0 513/2 ग्राम फतेहगढ़ के आबादी क्षेत्र में है। इसमे पिछले कई वर्षो से घनी आबादी हो गई है। विवादित आदेश अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं होकर सार्वजनिक है। इससे अपीलार्थी की बाड़े की भूमि प्रभावित हुई है। अपीलार्थी की बाड़े की भूमि आरक्षित किये जाने से उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायहित में प्रदान करावे।

प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय केवल यह देखेगा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद है या नही। वह प्रकरण की मेरिट को बिल्कुल नहीं देखेगा। अपीलार्थी ने अपने मियाद प्रार्थना पत्र में यह जानकारी प्रदान नहीं की उसे जिला कलक्टर अजमेर के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी किस दिनांक को हुई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानूनन मयाद निराधार, बेबुनियाद एवं मनघडण्त होने एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित

Scanned with CamScanner

कारण संतोषप्रद नहीं होने से मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम तथा धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपीलाथीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजियात ग्राम फतेहगढ़ (मुरायला) तहसील मसूदा के आराजी खसरा नं0 513/3 रकबा 25–13–00 बीघा किस्म बरड़ा मे से 2–00–00 बीघा भूमि को सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ आरक्षित बिना अपीलार्थी के कब्जे व बाड़ों पर गौर किये ही आदेश पारित करने कानूनी भूल की है। ग्राम फतेहगढ़ का खसरा नं0 513 के एक भाग 513/1 को कॉलोनी बनाकर अपीलार्थी के समाज के लोगो अनुसूचित जाति/अनुसुचित जन जाति को आंवटित की गई है जिससे इस स्थान पर घनी आबादी हो गई है। घनी आबादी के मध्य शमशान प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित किये जाने के विवादित आदेश जारी किये गये है।

उनका यह भी तर्क है कि ग्राम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कई मकान होने से इनकी अच्छी आबादी है जबकि गोस्वामी समाज के दो से चान मकानात है। ग्राम पंचायत ने गोस्वामी समाज का पूर्व से ही शमशान होते हुये भी सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत कर अविधिक कार्य किया है। आबादी क्षेत्र के समीप होने संबंधी आपत्ति को दर किनार कर आबादी के समीप ही शमशान प्रयोजनार्थ आरक्षण आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध व दोषयुक्त होने से निरस्त योग्य है। विवादित आंवटन आदेश के पश्चात् दिनांक 31.10.2019 की मौका रिपोर्ट ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति/गोस्वामी समाज के लोगो के प्रभाव में आकर बनाई गई है। मौका रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है कि आंवटित शमशान भूमि को गोस्वामी समाज के लिये पृथक से शमशान घाट बनाया जाना उचित होगा जो इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार गोस्वामी समाज के व्यक्तियों द्वारा झूठा प्रस्ताव तैयार करवाकर शमशान प्रयोजनार्थ भूमि आंवटित करवा ली गई है। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.8.2019 अपास्त योग्य है।

Scanned with CamScanner

उनका यह भी तर्क है कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध उनको निरस्त किये जाने के प्रार्थना पत्र संभागीय आयुक्त कार्यालय व जिला कलक्टर कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कअ/एफ.12(सी)/राजस्व/2019/105 दिनांक 02.08.2019 को निरस्त किया जाकर विवादित आराजियात ग्राम फतेहगढ़ (मुरायला) तहसील मसूदा के आराजी खसरा नं0 513/3 रकबा 25—13—00 बीघा किस्म बरड़ा मे से 2—00—00 बीघा भूमि को सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का आदेश निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जिला कलक्टर अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/एफ.12(सी)/राजस्व/2019/105 दिनांक 02.08.2019 विधिसम्मत है तथा भूमि रिक्त होने के आंधार पर ही आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.2019 अनुसार भी भूमि रिक्त है तथा कोई कब्जा नहीं है। अपीलार्थी ने अपना 50 वर्ष पुराना कब्जा बताया है किन्तु राजस्व रेकार्ड से उनके द्वारा किसी भी स्तर पर प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला कलक्टर अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/एफ. 12(सी)/राजस्व/2019/105 दिनांक 02.08.2019 से ग्राम फतेहगढ़ (मुरायला) तहसील मसूदा के आराजी खसरा नं0 513/3 रकबा 25—13—00 बीघा किस्म बरड़ा मे से 2—00—00 बीघा भूमि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 92 के प्रावधानानुसार सशर्त सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ आरक्षित की गंई है। उक्त आदेश में गोस्वामी समाज का कही भी उल्लेख नहीं है। पत्रावली में मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.2019 की छायाप्रति का अवलोकन भी किया गया जिसमें यह उल्लेखित है कि ग्राम फतेहगढ़ स्थित खसरा नं0 1216/1112 रकबा 0.3236 हैक्टेयर शमशान हेतु आरक्षित है। मौके पर भूमि रिक्त है। मौके पर शिकायतकर्ता रामस्वरूप भी उपस्थित मिले जिन्होने बताया कि मेरा कब्जा 50 साल है जबकि राजस्व रेकार्ड अनुसार सन् 2014 से 2019 तक धारा 91 की रसीद नहीं पाई गई। ग्रामवासियों ने बताया कि उक्त शमशान गोस्वामी समाज के लिये आंवटन करवाया गया है। गोस्वामी समाज में मृत्यु के उपरान्त गाड़ने(समाधि) की परम्परा है इसलिये पृथक से शमशान घाट बनाया जाना उचित है। चूकि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो से अपीलार्थी का विवादित आराजीयात का कब्जा है अथवा नहीं यह मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.2019 से कहीं भी स्पष्ट नहीं हो पाया है तथा शमशान भूमि आरक्षित सार्वजनिक रूप से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से ही अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा की गई है। आबादी क्षेत्र भी उक्त विवादित आराजीयात से कितनी दूरी पर है यह भी मौका रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार मानते हुये सुनवाई का अवसर देकर

Scanned with CamScanner

विवादित आराजी पर अपीलार्थी के कब्जे संबंधी जांच उपरान्त ही पुनः विधिवत आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक कअ/एफ.12(सी)/राजस्व/2019/105 दिनांक 02.08.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर अजमेर को प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सुनवाई उपरान्त पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

Scanned with CamScanner